न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,

जैतारण (जिला-पाली) राज0

[illegible]सीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

[illegible]स्व प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2014

[illegible]MS NO. : 2014/0016

-:: प्रार्थी ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
बाबूलाल पुत्र बक्साराम जाति- जाट, निवासी- लुणियावास तहसील- मेड़ता सिटी जिला- नागौर राज0।		1. रामप्यारी पत्नी प्रेमफूल 2. मनोहर पुत्र प्रेमफूल 3. राजकुमार पुत्र प्रेमफूल 4. मंजू पुत्र प्रेमफूल 5. सुमन पुत्र प्रेमफूल जातियान- साद, निवासीगण- लितरिया, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0। 6. तहसीलदार, एवं उपपंजीयन अधिकारी, तहसील-जैतारण, जिला- पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 29/06/2021

[illegible]परिस्थितः. 1. श्री रामस्वरुप चौधरी, श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री एम. एस. पठान, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 28/12/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत [illegible]ारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश [illegible]किया कि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा मे सायल की खरीदसुदा व [illegible]कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं 225 रकबा 4-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल [illegible]की आई हुई है। उक्त आराजी सायल ने खरीद की तब से मौके पर निर्विवाद रूप से [illegible]काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नकल रजिस्टर्ड बैचाननामा प्रार्थना पत्र के [illegible]साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल ने दिनांक 06-10-2010 को जरिये [illegible]रजिस्टर्ड बैचान के तत्कालीन खातेदार काश्तकार सरूप पुत्र घासु जाति साद [illegible] लितरीया से सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा का खरीद की थी तथा खरीद [illegible]रने पश्चात मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। वक्त खरीद के उक्त आराजी पर बैचान[illegible] सरूप ने एस.बी.बी.जे. शाखा आ0 कालु से ऋण ले रखा था। इस कारण से [illegible] सायल के नाम म्यूटेशन नहीं हो सका। परन्तु वक्त बैचान के बैचानकर्ता सरू[illegible]त्र घासु ने सायल से यह करार किया की उसे मिली प्रतिफल की राशि से वह इस भूमि पर जो ऋण है वह चुकता कर रहन मुक्त करवा देगा, परन्तु वैचानकर्ता ने भूमि को रहन मुक्त नही करवाया। इस वजह से सायल के नाम राजस्व रेकर्ड मे म्यूटेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar [illegible]
Date: 2022.01.24 18:31:03 [illegible]
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

होने से रह गया, इसलिए भूमि रहन मुक्त नही हो सकी। उपरोक्त वर्णित जी बैचान होने के पश्चात सायल के नाम राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन नहीं होने के सरूप पुत्र घासु की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस प्रेमफुल पुत्र सरूप ने उक्त जी को रहन मुक्त करवाकर सरूप पुत्र घासु के स्थान पर विरासत के रूप मे के नाम दिनांक 21-05-2012 को म्यूटेशन संख्या 679 के जरिये स्वंय का राजस्व रेकर्ड मे इंद्राज करवा दिया। जबकि सरूप के वारिस प्रेमफुल का इस जी मे कोई हक अधिकार निहित नहीं था, परन्तु फिर भी बैचान की गई भूमि का ने नाम म्यूटेशन इंद्राज करवा लिया जो कतई गलत है तथा कानूनन शुन्य व प्रभावी है। नकल जमाबंदी संवत 2055 से लगायत 2070 तक की प्रार्थना पत्र साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित राजी सायल की खरीदसुदा होने के बावजूद भी प्रेमफुल ने विरासत के रूप में स्वंय राजस्व रेकर्ड मे नाम इंद्राज करवा दिया। और तत्पश्चात प्रेमफुल की मृत्यु होने पश्चात प्रेमफुल के वारिसान ने उपरोक्त वर्णित आराजी का म्यूटेशन संख्या 860 नांक 01-07-2015 को प्रेमफुल के वारिसान अर्थात गैरसायलान ने बैचान की गई मे का अपने नाम म्यूटेशन भरवा लिया। जबकि गैरसायलान को इन तथ्यों की ली भाति जानकारी थी की वादग्रस्त सम्पति उनके दादा सरुप जी ने सायल को चान कर रखी थी, परन्तु फिर भी गैरसायलान ने गैरकानूनी तरीके से राजस्व रेकर्ड म्यूटेशन पारित करवाकर नाम इंद्राज करवा दिया। जो कतई गलत है तथा सायल हितो के विरुद्ध बेअसर व शून्य है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2078 तक की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल के खरीद करने के पश्चात गलत तरीके गैरसायलान ने विरासत के रूप में नाम इंद्राज करवा दिया जो विधि विरुद्ध है। सायल ने भूमि खरीद की है और जो बैचानकर्ता था। उपरोक्त वंशावली के अनुसार सायल ने वादग्रस्त आराजी गैरसायलान के दादा से दिनांक 06-10-2010 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर ली, परन्तु राजस्व रेकर्ड में सायल का नाम इंद्राज नही होने से वादग्रस्त सम्पति विरासत के रूप में आगे से आगे इंद्राज होते हुए वर्तमान में गैरसायलान के नाम इंद्राज है। जबकि वादग्रस्त सम्पति मे गैरसायलान का कोई हक अधिकार नहीं है और न ही मौके पर कब्जा है। इसलिए वादग्रस्त सम्पति के राजस्व रेकर्ड मे गैरसायलान का नाम हटा कर सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में इंद्राज किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक 10-06-2021 को सायल अपनी आराजी मे काश्त करने के लिए खड़ाई कर रहा था तब गैरसायलान सभी [illegible] आये तथा सायल को मौके से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी तथा स्व[illegible] का [illegible] राजस्व रेकर्ड में इंद्राज होने का कथन किया, तब सायल ने गैरसायलान को [illegible] की एवं रजिस्टर्ड बैचाननामा दिखाया और बताया की सायल ने गैरसायलान के दादा सरुप जी से उनके जिवनकाल में ही उक्त आराजी खरीद कर ली। [illegible] फिर भी गैरसायलान नही माने और विवाद करने लग गये। तब सायल ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई की सायल का नाम बैचाननामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे इंद्राज नहीं हुआ और बैचानकर्ता के फौत हो जाने से उनके वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रासत के रूप म्यूटेशन दर्ज करवा दिया। जबकि वादग्रस्त सम्पति बैचान हो जाने रसायलान के नाम दर्ज किये गये म्यूटेशन सायल के हितो के विरुद्ध बेअसर व है तथा कानूनन भी उक्त म्यूटेशन शुन्य व निष्प्रभावी है। इसलिए गैरसायलान नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे एवं सायल को बतौर खातेदार काश्तकार के स्व रेकर्ड मे नाम इंद्राज किये जाने की घोषणा की जावें। गैरसायलान के नाम ग्रस्त सम्पति के रेकर्ड में गलत तरीके से इंद्राज होने एवं मौके पर गैरसायलान द करते हैं या मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इंद्राज हो जाने से यदि उक्त आराजी ो से आगे रहन बैचान होती है तो सायल गैरसायलान के इन गैरकानूनी कृत्यों विरोध करेगा जिससे मौके पर विवाद बढ़ेगा तथा यदि गैरसायल बिना किसी हक धेकार के इस सम्पति को आगे हस्तान्तरण कर देते है तो सायल अपने जायज म्पैतिक अधिकारों से हमेशा केलिए महरूम हो जाएगा। इसलिए सायल द्वारा सभी ह के विवादों से बचने के लिए यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध रसायलान के पेश है। समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो व दस्तावेज के आधार पर थम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में बखुबी साबित है तथा दग्रस्त सम्पति मे गैरसायलान का नाम गलत रूप इंद्राज़ है। क्योकि उक्त सम्पति ायल ने जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर ली परन्तु राजस्व रेकर्ड मे नाम इंद्राज ही होने से एवं गैरसायलान ने गलत रूप से बिना किसी हक व अधिकार के उक्त ाराजी मे अपना नाम इंद्राज करवा लिया और यदि गलत रूप से नाम इंद्राज होने े आधार पर गैरसायलान उक्त आराजी को किसी अन्य को रहन बैचान बख्शीश व स्तान्तरण करते तो सम्पूर्ण क्षति सायल को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है। इसलिए सायल कि ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायल के पेश है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र व दस्तावेज के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थपा पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित आराजी सायल की खरीदशुदा आराजी है जिसमे गैरसायलान का गलत नाम इंद्राज हो रखा है। गैरसायलान का नाम हटाकर सायल का नाम इंद्राज करवाने बाबत सायल ने वादपत्र पेश किया है जिसमे समय लगने कि सम्भावना है तब तक गैरसायलान वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन, बैचान, बख्शीश, हस्तान्तरण नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे व वादग्रस्त आराजी को बाद के निर्णय तक यथावत रखा जावें।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर वकालतनामा पेश हुआ, जो मिसल किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र का पद सं. एक में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है गेरसायलान नामंजूर करते है। सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का ... की खरीद सुदा व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4–12 बी किस्म बारानी अव्वल भूमि आई होने व सायल ने खरीद की तब से मौके पर निर्विवाद रुप से काबिज होकर काश्त चला आने के कथन दावा करने की गरज से झूठे आयत किये गये है। जबकि सरहद मौजा लितरिया में वाके आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 4–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल गैरसायलान की पुश्तैनी/पैतृक संयुक्त

Signature Not Verifie
Digitally signed by Bhaska
Date: 2022.01.24 18:31:0
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुस्तर्का खानदान व अविभक्त शामलाती कृषि भूमि है जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी [illegible]लान बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है उक्त कृषि भूमि में सायल [illegible]ोई सम्बन्ध नहीं है ना ही सायल का कोई कब्जा काश्त है। उक्त भूमि की [illegible]न्दी खतौनी जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र का पद सं. दो में [illegible] तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। सायल [illegible]नांक 06.10.2010 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के तत्कालीन खातेदार काश्तकार [illegible] पुत्र घासु जाति साद निवासी लितरिया से सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर [illegible]दने के तथ्य पूर्णतया असत्य एवं झूठे है ऐसा कोई दस्तावेज गैरसायलान की [illegible]कारी में नहीं है कि दिनांक 6.10.2010 को सरुप पुत्र घासु साद द्वारा सायल पक्ष में तकमील करवाया गया हो, उक्त तथाकथित रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 06.10. [illegible]10 फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है गैरसायल के हितों के विरुद्ध बेअसर है। इससे [illegible]यल बाबुलाल को कानूनी तौर से कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जबकि [illegible]ग्रस्त आराजी गैरसायलान के पूर्वज घासू के पिता/प्रपिता के नाम से वक्त सेटलमेंट [illegible] पूर्ण से खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक भूमि है जिसका परिवारजन के सदस्यों [illegible] सहमति के बिना हस्तान्तरण कानूनन हो ही नहीं सकता । गैरसायलान के प्रपिता [illegible]रूप द्वारा वादग्रस्त आराजी का दिनांक 06.10.2010 को सायल के पक्ष में कोई [illegible]चाननामा तकमील नहीं करवाया, ना ही सायल को बैचाननामे के वक्त वादग्रस्त [illegible]ाराजी का कब्जा सुपुर्द किया गया। बल्कि वादग्रस्त आराजी पर गैरसायलान पीढी दर [illegible]ीढी बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त कर उपयोग–उपभोग [illegible]करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि से सायल आऊट अ०फ पजेशन है। वक्त खरीद के उक्त आराजी पर बैचानकर्ता सरुप ने एस०बी०बी०जे० शाखा आ०कालु से ऋण ले रखने से खरीददार (सायल) के नाम म्यूटेशन नहीं होने के तथ्य दावा करने की गरज से झूठे आयत किये गये है। सायल बाबुलाल ने वादग्रस्त आराजी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के मुताबिक दिनांक 06.10.2010 को खरीद करना व एस०बी०बी०जे० शाखा आ०कालु में रहन से म्यूटेशन नहीं होने के कथन सरासर झूठे एवं मिथ्या है जबकि वादग्रस्त आराजी का रहन दिनांक 25/01/2010 को गैरसायल के पिता/प्रपिता ने चुकता कर दिया था व दिनांक 27/09/2010 को ही एस०बी०बी०जे० शाखा आ०कालु से रहन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था उक्त बैंक की रसीद मय रहन मुक्ति का प्रमाण पत्र की प्रतियां जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे जवाब प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जाये। इस प्रकार सायल बाबुलाल के क्रय दिनांक 06.10. 2010 को वक्त बैचान वादग्रस्त आराजी रहन होने से म्यूटेशन राजस्व [illegible] अमल दरामद नहीं होने के कथन पूर्णतया झूठे एवं असत्य [illegible] करते है। वक्त वैचान के वैचानकर्ता सरुप पुत्र घासु ने सायल से [illegible] रहन मुक्त करवाने एवं मिली प्रतिफल की राशि से भूमि का ऋण चुकता कर रहन मुक्त करवाने एवं बैचानकर्ता ने भूमि को रहन मुक्त नहीं करवाने के कथन पूर्णतया असत्य है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। वादग्रस्त आराजी सायल के बाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार दिनांक 05.10.2010 को रहन होने के तथ्य पूर्णतया असत्य है जबकि दिनांक 25/01/2010 को वादग्रस्त आराजी की रहन की राशि बैंक में जमा कर दिनांक 27/09/2010 को गैरसायलान के प्रपिता ने रहन मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:31:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ा था। उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान ंजूर करते है। प्रार्थना पत्र का पद सं. तीन में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व नियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते हैं। वादग्रस्त आराजी वैचान होने के वात् सायल के नाम राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन नहीं होने के कारण सरुप पुत्र घासु पश्चात् उसके वारिस प्रेमफुल पुत्र सरूप ने उक्त आराजी को रहन मुक्त करवाकर रुप के स्थान पर विरासत में रूप में खुद के नाम दिनांक 21/05/2012 को यूटेशन संख्या 679 के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने के कथन पूर्णतया सत्य है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। वादग्रस्त आराजी का रहन मुक्त प्रेमफुल त्र सरुप के द्वारा करवाने के तथ्य पूर्णतया झूठे एवं असत्य है। जबकि दिनांक 27/09/2010 को ही वादग्रस्त भूमि सरुप पुत्र घासुराम साद के द्वारा रहन मुक्त करवाकर रहन मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। ूपसमत अमत ंत्र ानउंइसलिए प्रेमफुल के द्वारा रहन मुक्त करवाने के तथ्य दावा करने क गरज से झूठे भायत किये गये है। वादग्रस्त आराजी गैरसायलान की पैतृक/पुश्तैनी हिन्दु मुस्तर्का ान्दान की अविभक्त शामलाती कृषि भूमि है जिस पर गैरसायलान पीढी दर पीढी ाश्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि में सायल का कोई हक अधिकार है ही नहीं, ना ही दिनांक 06.10.2010 को सरुप पुत्र घासु साद के द्वारा वादग्रस्त आराजी का बैचान सायल बाबुलाल के पक्ष में किया गया, यदि ऐसा कोई दस्तावेज अस्तित्व में है तो कानूनी तौर से शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है इस शून्य दस्तावेज दिनांक 06.10.2010 से सायल बाबुलाल को कोई हक, हकूक प्राप्त नहीं होते है ना ही सायल बाबुलाल का वादग्रस्त आराजी में जन्म से आज दिन तक कोई कब्जा काश्त रहा है उक्त भूमि से सायल आऊट अ०फ पजेशन है इसलिए बिना बेदखली की कार्यवाही के सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। यह है कि प्रार्थना पत्र का पद सं. चार में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। सायल की खरीद सुदा होने के बावजूद भी प्रेमफुल ने विरासत के रुप में स्वयं का राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करवाने एवं प्रेमफुल की मृत्यु के बाद वारिसान ने म्यूटेशन संख्या 860 दिनांक 01/07/2015 भरवाने के कथन पूर्णतया असत्य है जबकि वादग्रस्त आराजी गैरसायलान की पैतृक/पुश्तैनी कृषि भूमि है जो बतौर वारिसान पीढी दर पीढी विरासत में प्राप्त हो रही है इसलिए राजस्व अधिकारियों ने सरुप पुत्र घासु एवं प्रेमफुल पुत्र सरुप के देहान्त के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारी गैरसायलान के नाम बाद जांच राजस्व [illegible] संख्या 679, 860 के दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण को शून्य/[illegible] सायल को कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। उक्त तथ्यों के [illegible] फिकरा गलत बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। प्रार्थना [illegible] सं. पांच में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायल नामंजूर [illegible] है। इस फिकरे में वर्णित वंश वंशावली से सायल बाबुलाल का कोई सम्बन्ध नहीं है ना ही सायल ने घासु के पूर्वजों के नाम इस फिकरे में दर्शाये गये है जबकि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से पूर्व घासू साद के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर पीढी पर पीढी वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैसलमेर

सलिए दिनांक 06.10.2010 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के सायल के द्वारा करने के तथ्य पूर्णतया गलत व असत्य है गैरसायल को वादग्रस्त आराजी 5 06.10.2010 को बैचान होने का कोई इल्म नहीं है ना ही सरुप स्वयं द्वारा बैचान, हस्तान्तरण सायल बाबुलाल के पक्ष में किया गया है। तथाकथित लिखित । दिनांक 06.10.2010 शून्य एण्ड व०यड है। इससे सायल को कोई हक कार प्राप्त नहीं होते है ना ही ऐसे शून्य दस्तावेज के आधार पर गैरसायल के न पर सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा सकता है। लिए सायल का घोषणा का वाद मय प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र पद सं. छह में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान मंजूर करते है। दिनांक 10.06.2021 को सायल अपनी आराजी में काश्त करने लिए खडाई कर रहा था तब गैरसायलान सभी एकराय होकर मौके पर आने एवं यल को मौके से बेदखल करने की एलानिया धमकिया देने के कथन पूर्णतया सत्य एवं झूठे है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। दिनांक 10.06.2021 को दग्रस्त आराजी में सायल के द्वारा खड़ाई करने के तथ्य काल्पनिक एवं झूठे है बकि वादग्रस्त आराजी में सायल का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, उक्त भूमि से ायल आऊट अ०फ पजेशन है तथा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये राजनैतिक बाव से गैरसायल को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करवाने पर सायल आमादा है। योंकि वादग्रस्त आराजी में एवं आस–पास की भूमियों की अन्दुरुनी सतह में लाइम स्टोन है एवं खड्डी का कच्चा माल प्रचुर मात्रा में होने से सायल बाबूलाल गैरसायल को बेदखल कर भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ के लिये उपयोग उपभोग करनें पर आमदा है जबकि सायल बाबूलाल को गैरसायलान की हिन्दू मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती कृषि भूमि से बेदखल करने या कब्जा काश्त में दखलादांजी, बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र निराधार एवं अवैधानिक होने से मय हर्जे खर्चे खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

<u>*(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :–*</u> प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई नि[illegible] में निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.10.2010 को जरिये पंजीकृत बैचाननामा से तत्कालीन खातेदार सरूप पुत्र घासू निवासी [illegible] से क्रय की थी तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया, लेकिन उक्त आराजी तत्समय बैंक रहन दर्ज होने के कारण प्रार्थी क्रेता के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत नहीं हो सका। इस[illegible] पश्चात् विक्रेता सरूप पुत्र घासू की मृत्यु हो गई तथा उसके वारिसान प्रेमफूल द्वारा रहन मुक्त करवा कर स्वयं के नाम विरासतन नामान्तरण संख्या 679 दिनांक 21.05.2012 स्वीकृत करवा लिया जो कि विधि विरूद्ध था तथा इसके पश्चात् प्रेमफूल की मृत्यु होने के बाद प्रेमफूल के वारिसान अप्रार्थीगण ने विधि विरूद्ध रूप से अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2022.01.24 18:31:03
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नामान्तरण संख्या 860 दिनांक 01.07.2015 स्वीकृत करवा लिया। उपर्युक्त नामान्तरण प्रार्थी के हक हिस्सो के विरूद्ध प्रभाव शून्य है। प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विलेख के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद न्यायालय हाजा पेश किया है जो जैरकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया हैं कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है प्रार्थी द्वारा इसे 06.10.2010 को पंजीकृत बैचान क्रय करनें का कथन असत्य है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत प्रश्नगत नामान्तरण विधि संगत है तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि सरुप पुत्र घासू निवासी लितरिया तहसील ग्राम लितरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 के खसरा संख्या 225 रकबा 04-12 बीघा किस्म बारानी को दिनांक 06.10.2010 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख प्रार्थी एवं क्रेता ... को बैचान कर दी गई। तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत् 2067-20.. के अनुसार नामान्तरण संख्या 603 दिनांक 24.03.2011 द्वारा वादग्रस्त आराजी ... दर्ज कि जाकर नामान्तरण संख्या 679 दिनांक 21.05.2012 को विरासत से सरूपराम के स्थान पर प्रेमफूल पुत्र सरूपराम दर्ज किया गया। तत्पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के अंकन अनुसार नामान्तरण संख्या 860 दिनांक 01.07.2015 द्वारा विरासत से प्रेमफूल के स्थान पर रामप्यारी पत्नी प्रेमफूल, ..., पि0 प्रेमफूल, मंजू, सुमन पुत्रीया प्रेमफूल के नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार पंजीकृत हकतर्कनामा दिनांक 27.03.2012 के अनुसार मीना, सुशीला, संन्तोष पुत्रीया सरूप एवं श्रीमति माया पत्नी सरूप द्वारा अपना हक हिस्सा प्रेमफूल पुत्र सरूप के पक्ष में हकतर्क कर दिया गया। इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी विक्रेता सरूप द्वारा प्रार्थी को विक्रय कर देने के पश्चात् सरूप के वारिसान द्वारा वादग्रस्त आराजी का बार बार हस्तान्तरण एवं नामान्तरण आदि की कार्यवाही की गई है। चुंकि प्रार्थी द्वारा पूर्ववर्ती एवं मूल खातेदार सरूप द्वारा विक्रय विलेख के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है, साथ ही प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से वादग्रस्त आराजी क्रय कि है तथा उक्त विक्रय विलेख के अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी वक्त खरीद से प्रार्थी के उपयोग उपभोग में है। अतः सुविधा का संतुलन भी स्वाभाविक रूप से प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है तथा बिन्दू संख्या 01 के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार सरूप द्वारा प्रार्थी को पंजीकृत विक्रय कर देने के बाद भी सरूप के वारिसान एवं अप्रार्थीगण द्वारा पश्चात्वर्ती कार्यवाही एवं हस्तान्तरण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:03 IST
Reason: SelfAttested

रूप में नामान्तरण एवं हकतर्क आदि किये है। इससे यह विश्वास करनें का संदेह परे कारण है कि यदि अप्रार्थीगण को इस बाबत् निषेधित नहीं किया गया तो वह ...ी पश्चात्वर्ती कार्यवाहीयों आगे भी कर सकते है। जिससे प्रकरण के सम्यक् न्याय ...र्णय में अनावश्यक जटिलता एवं क्षति कारित होगी जिसका सीधे तौर नकारात्मक ...भाव प्रार्थी पर ही होगा। अतः बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्थापित एवं साबित होता ...।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हुये है, अतः हम हस्तगत प्रकरण में ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन ...क में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति बखूबी साबित होनें व साक्ष्य ... से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का ... तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नं 225 रकबा 04.2 बीघा किस्म बारानी अव्वल के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर ... से ... होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:03 IST
Reason: SelfAttested